न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-364/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अज्ञात/वाहन मालिक...विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
11.01.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 419/ हि0शा0, दिनांक 16.02.2020) के आलोक में नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड सं0-349/19, दिनांक 16.06.2019, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त हिरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502, ईंजन नं-03E27E17812, चेचिस नं0-03E27F18932 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचनापट्ट पर सूचना प्रकाशित की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त वाहन के मालिक के विस्तृत विवरणी की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 594/जि0परि0, दिनांक-10.07.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित वाहन के वाहन मालिक का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। (2) "दैनिक प्रभात खबर" समाचार पत्र में दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से वाहन मालिक के नाम सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। विपक्षी/वाहन मालिक को को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एक पक्षीय सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-419/ हि0शा0, दिनांक 16.02.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि HC/GD सुजय कुमार सिंह, 56 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, डी समवाय, बी0ओ0पी0 तिनखंभा द्वारा सशस्त्र बल के साथ पेट्रोलिंग के कम में सीमा स्तम्भ सं0-196/11 के पास बोर्डर से 100 मीटर भारत की तरफ हीरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502, ईंजन नं-03E27E17812, चेचिस नं0-03E27F1-8932 पर लदी बोरी, जिसे मोटर साईकिल चालक छोड़कर फरार हो गया, को दो स्वतंत्र साक्षी-1.रामानन्द गुप्ता, पिता-विद्यानंद गुप्ता, 2. लखन मेहता, पिता-लक्ष्मी मेहता, दोनो सा0-बौराहा, वार्ड नं0-08, पो0-भैरवगंज, थाना-ओ0पी0 बसमतिया, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी लेने पर Dialex Dry Cough Srp codein Phosphate 39 बोतल प्रति बोतल 100 मिली लीटर, Spasmo- proxynon plus 180 strips 08 कैपसुल बरामद हुआ। बरामद हिरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502, ईंजन नं-03E27E17812, चेचिस नं0-03E27F18932 एवं Dialex Dry Cough Srp codein Phosphate कुल-39 बोतल प्रति बोतल 100 एम0एल0, Spasmo- proxynon plus 180 strips 08 कैपसुल को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, कय, विकय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और	

अधिहरण वाद संख्या-364/2020

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

11.01.2021

उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड सं0-349/19, दिनांक 16.06.2019, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध कफ सीरप का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.-01-06/2016/4027, दिनांक-18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/Dextropropoxyphene औषधीय घटक वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ ''मादक द्रव्य'' (Intoxicants)" अधिसूचित है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त हिरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502, ईंजन नं-03E27E17812, चेचिस नं0-03E27F18932 का उपयोग अवैध कफ सीरप, जो मादक द्रव्य (Intoxicating drug) है, को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त कफ सीरप का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा नहीं किया है। जब्त हिरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होनेयोग्य है। तदनुसार **नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड सं0-349/19, दिनांक 16.06.2019, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त हिरो होन्डा सी0डी0 डॉन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR11C-2502, ईंजन नं-03E27E17812, चेचिस नं0-03E27F18932 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया — समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 179/विधि, अररिया, दिनांक 19.01.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता * अररिया (बिहार)

समाहर्त्ता, अररिया